

**अध्यादेश और विनियम
पीएचडी कार्यक्रम**

अध्यादेश

- 0.1 उम्मीदवार जो मान्य संस्थान या विश्व विद्यालय से इंजीनियरिंग/ टैक्नोलॉजी और विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, अकादमी सलाहकारी समिति (इसके बाद एएसी कहा जाएगा) / सेनेट द्वारा निर्धारित विधा में रखने पर इस संस्थान के पीएचडी के लिए क्रमशः इंजीनियरिंग/ तकनोलाजी और विज्ञान पाठ्यक्रम में आवेदन देने के लिए योग्य है।
- 0.2 उम्मीदवार जो इंजीनियरिंग/ टैक्नोलॉजी की स्नातक उपाधि, असाधारण श्रेष्ठ शैक्षणिक परिदृश्य उस विधा में रखता हो जिसका निर्धारण संस्थान के विनियम में किया गया है वे भी इस संस्थान के इंजीनियरिंग/ तकनोलाजी के पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन देने के लिए योग्य हैं।
- 0.3 संस्थान की सीनेट के विनियमन के अनुसार पीएचडी डिग्री पुरस्कार दिया जाएगा।

विनियम

आर.1 प्रवेश के संवर्ग

इस संस्थान के पीएचडी पाठ्यक्रम में उम्मीदवारों को प्रवेश निम्नलिखितों में से किसी एक संवर्ग में दिया जाएगा।

- (a) संस्थान के फेलोशिप के साथ या बिना या परियोजना सपोर्ट के साथ नियमित पूर्ण कालीन विद्वान
- (b) अनुसंधान विद्वान जो संस्थान के स्टाफ सदस्य हैं।

आर.2 योग्यताएँ

आर.2.1 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ

नियमित पूर्ण-कालीन अनुसंधान के लिए योग्यताएँ

इस संस्थान के पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ निम्नप्रकार है :

आर.2.1.1 इंजीनियरिंग में पीएचडी

- (a) उम्मीदवार जिसके पास इंजीनियरिंग / टैक्नोलॉजी में अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या इंजीनियरिंग / तकनोलाजी विधा में अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ अनुसंधान द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि।
- (b) विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ और संबंधित इंजीनियरिंग विधा में असाधारण मेरिट और वैध गेट स्कोर या यूजीसी आईसीएसआईआर नेट आईएनबीहेचएम या संबंधित क्षेत्र में पंजीकरण वर्ष में समतुल्य लायक योग्यता। स्नातकोत्तर उपाधि के साथ संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष के अनुभव रखनेवाले उम्मीदवार को चयन समिति द्वारा परीक्षण स्कोर पर छूट दिया जा सकता है।
- (c) उम्मीदवार जिसकी योग्यता इंजीनियरिंग / तकनोलाजी में स्नातक है, पर असाधारण अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड योग्य विधा में है तो सीधे पीएचडी प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है। नियमित पूर्णकालीन विद्वान के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल निम्नलिखित शर्तों पर किया जा सकता है :
 - आईआईटी के बी.टेक उपाधि धारक, 10.0 पाइंट की तुलना में 8.0 के न्यूनतम सीजीपीए रखनेवाले या वैध गेट स्कोर रखनेवाला
 - किसी अन्य विश्व विद्यालय से जो विश्व विद्यालय के सबसे शीर्ष दस रैंक में एक धारक हो, इंजीनियरिंग / तकनोलाजी में स्नातक उपाधि और वैध गेट स्कोर रखता हो।
 - विख्यात अनुसंधान व विकास संगठन से इंजीनियरिंग व तकनोलाजी के स्नातक उपाधि धारक और अच्छा अनुसंधान रिकार्ड रखता हो

आर 2.1.2 विज्ञान में पीएचडी

विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ और वैध गेट स्कोर या यूजीसी/सीएसआईआर-नेट/एनबीहेचएम या संबंधित क्षेत्र में पंजीकरण वर्ष में समतुल्य लायक योग्यता / इंजीनियरिंग/ तकनोलाजी में स्नातकोत्तर उपाधि अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ / आईआईटी के बीटेक उपाधि धारक के उम्मीदवार जिसके सीजीपीए 10.0 के लिए न्यूनतम 8.0 हो या वैध गेट स्कोर रखता हो।

आर.2.1.3 उक्त संवर्ग में अनुसंधान विद्वानों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ मद सं 2.1.1 और 2.1.2 में पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए तत्संबंधित संवर्गों के लिए पूर्ण कालीन अनुसंधाताओं के लिए निर्धारित ही होगा।

फिर भी गेट स्कोर या सीएसआईआर/आरजीसी जेआरएफ या लेक्चरशिप/ एनबीहेचएम/ जेएमईटी/ सीएटी/ एआईएमए या समतुल्य योग्यताएँ जो नियमित पूर्ण कालीन अनुसंधाओं के लिए लागू होगा इस मामले में आवश्यक नहीं। (प्रवेश ब्राउचर में प्रत्येक विभाग द्वारा योग्य विधा में पाये जानेवाले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ प्रदान की जाएगी, जिसे समय समय पर अद्यतन किया जाएगा।)

उम्मीदवार के शैक्षणिक/ अनुसंधान पृष्ठभूमि और प्रस्तावित अनुसंधान क्षेत्र में यदि अच्छा तालमेल है तो प्रवेश ब्राउचर में सूचित से इतर विधाओं के लिए चयन समिति यदि उपयुक्त मानता है तो उन मेरिटोरियस उम्मीदवारों का चयन कर सकता है।

प्रवेश ब्राउचर में अंतर-अनुशासनीय अनुसंधान क्षेत्र भी शामिल होगा जिसे अनुसंधान विद्वान पीएचडी उपाधि के लिए आगे ले सकते हैं जहाँ संस्थान द्वारा उसके समतुल्य योग्य विधा का उल्लेख किया हो।

आर.2.1. में दिये गये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से इतर अतिरिक्त और सख्त मानदंड को चयन समिति द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जा सकता है ताकि साक्षात्कार और/या परीक्षण के लिए बुलाये जानेवाले उम्मीदवारों की सूची को कम किया जा सके।

आर.2.2 पी.जी/एमटेक से पीहचेडी पाठ्यक्रम के पंजीकरण के अपग्रेडेशन मेरिटोरियस उम्मीदवार जो पी.जी/एमटेक पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत है पीएचडी पाठ्यक्रम के पंजीकरण में अद्यतन करने के लिए योग्य है बशर्ते निम्नलिखित मानदंड के अनुकूल हो :

(a) पी जी/एमटेक पाठ्यक्रम में कम से कम 2 सेमेस्टर के लिए उम्मीदवार को पंजीकृत किया होना चाहिए।

(b) निर्धारित कोर्स में बी.ओ. के न्यूनतम सीजीपीए

पी.जी विद्वान के मामले में, पी.जी विद्वान के सामान्य परीक्षण समिति उसी गाइड के पर्यवेक्षण के तहत पीएचडी अपग्रेडेशन के लिए आवेदन पर विचार करेगा और अपनी सिफारिशों को सेनेट को देगा। यदि अनुमोदन हो तो, एक डाक्टरल समिति जैसे आर.9 में उल्लिखित है का गठन सामान्य परीक्षण समिति के स्थान पर किया जाएगा।

एमटेक विद्वान के मामले में, निदेशक/ उप निदेशक द्वारा पीएचडी के अपग्रेडेशन के लिए दिये गये आवेदन पर विचार करने के लिए विधिवत एक समिति का गठन किया जाएगा जो अपनी सिफारिशों को सेनेट को देगा। यदि अनुमोदन हो तो, एक डाक्टरल समिति जैसे आर.9 में उल्लिखित है का गठन किया जाएगा और आर.6 के अनुसार गाइड की नियुक्ति होगी।

पीएचडी पाठ्यक्रम में अपग्रेड होने के बाद एक सेमेस्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा दो कोशिशों में उम्मीदवारों को व्यापक परीक्षा (आर.12ए) उत्तीर्ण होना है।

उम्मीदवार को सीधे स्नातक से आये उम्मीदवार के समान माना जाएगा लेकिन पी.जी/ एमटेक रजिस्ट्रेशन के तहत रहे रेसिडन्सी अवधि और कोर्स वर्क को पीएचडी पाठ्यक्रम में डाक्टरल समिति द्वारा निर्णय किये अनुसान क्रेडिट किया जाएगा।

(सीजीपीए की व्याख्या के लिए पत्रा सं 9 देखें)

आर.3 अंतर्राष्ट्रीय छात्र

विदेशी को केवल नियमित पूर्णकालीन विद्वानों के रूप में ही पंजीकृत किया जा सकता है। विदेशी जो भारतीय विश्व विद्यालयों से उपाधि पाया है प्रवेश के लिए भारतीय के समतुल्य रूप में माना जाएगा। विदेशी जो विदेश में पाये उपाधि रखता है आर 2.1 में दी गयी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है जो निम्न प्रकार है।

संबंधित विधा में भारतीय स्नातकोत्तर उपाधि की समतुल्य उपाधि, इसके अलावा वैध जीआरई/ जीमेट/ गेट/ नेट/ आईकेट/ जेमेट/ टोफल या समतुल्य परीक्षा में संबंधित विधा में स्कोर रखना है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को कामकाजी अंग्रेज़ी मालूम होना चाहिए। प्रवेश पाने पर संस्थान भारत सरकार से भारत में अध्ययन करने के लिए आवश्यक क्लयिंरंस के लिए आवेदन देगा।

आर.4.चयन प्रक्रिया

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और निदेशक/ उप निदेशक द्वारा समय समय पर लागू किये जानेवाले अतिरिक्त मानदंड रखनेवाले योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार और परीक्षण के लिए चयन समिति द्वारा बुलाया जाएगा।

उम्मीदवार जो अंतिम आवेदन तारीख से दस वर्ष पहले स्नातकोत्तर उपाधि पाये हैं तो एक विनिर्दिष्ट परीक्षण चलाया जा सकता है।

विदेशियों से पाये गये आवेदन पर बिना वैयक्तिक साक्षात्कार/ परीक्षण विचार किया जा सकता है।

उम्मीदवारों के अकादमी रिकार्ड, साक्षात्कार और/या परीक्षण में कार्यनिष्पादन के आधार पर चयन समिति अकादमी सलाहकारी समिति के अध्यक्ष को पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों की सूची की सिफारिश करेगी।

आर.5 प्रवेश

- उम्मीदवारों का चयन जो अकादमी सलाहकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित है निर्धारित शुल्क भरने के बाद पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।
- किसी भी कारण से पूर्व पंजीकरण को रद्द करने के बाद सामान्यतः पुनः पंजीकरण के लिए कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं है। वैयक्तिक मामलों में पक्ष विपक्ष के आधार पर और विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार के पुनः पंजीकरण पर विचार किया जाएगा।

आर.6 गाइड/गाइडों का विकल्प

- अनुसंधान विद्वान और गाइडों द्वारा दिये गये पसंद पर विचार करते हुए निदेशक/ उप निदेशक द्वारा गाइडों को अनुसंधाताओं का आबंटन किया जाएगा।
- एक अनुसंधान विद्वान को अधिकतम दो गाइड ही होना है।

आर.7 गाइड होने की योग्यताएँ

पीएचडी विद्वानों के लिए निम्नलिखित सदस्य गाइड के रूप में हो सकते हैं:

- » संस्थान के सभी संकाय सदस्य
- » संस्थान के डाक्टरल उपाधि रखे वैज्ञानिक/अभिकल्प कर्मचारी सेवानिवृत्त संकाय सदस्य/ समिरिटस संकाय जो जारी रखते हैं, गाइड के रूप में काम कर सकते हैं।
 - जब एक संकाय सदस्य, कम से कम 3 वर्ष के लिए जब किसी उम्मीदवार को गाइड करता है, सेवानिवृत्त होता है, वह गाइड के रूप में अपना कार्य जारी रखेगा। फिर भी अतिरिक्त रूप में एक सह-गाइड की नियुक्तिकी जाएगी जो सेवा में है। सेवानिवृत्त हुए गाइड को डाक्टरल समिति, सिनाप्सिस और मौखिक परीक्षा की बैठकों में बुलाया जाएगा।
 - एक संकाय सदस्य जो 3 वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले हैं को एक नये विद्वान के लिए अन्य संकाय सदस्य के साथ जो कम से कम 5 वर्ष के लिए सेवानिवृत्त न होनेवाले हैं, सह गाइड के रूप में रहने की अनुमति पंजीकरण के समय में ही दी जा सकती है। सेवा निवृत्त होने पर संकाय सदस्य गाइड के रूप में जारी रहेगें और डॉक्टरल और मौखिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किये जाएँगे।
 - सीएसआईआर और अन्य एमिरिटस फेलो/ वैज्ञानिक/ एमिरिटस प्रोफसर जो इस संस्थान में 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए काम कर चुके हैं, विद्वानों के लिए सह-गाइड के रूप में आईआईआईटीडी व एम के साथ रह सकते हैं बशर्ते विद्वान के पंजीकरण के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा बाकी हो।
 - संकाय सदस्य गाइड होने के मामले में, यदि एक वर्ष से अधिक समय के लिए छुट्टी पर जाते हैं तो दूसरे संकाय सदस्य को पहचाना जाएगा जो अनुसंधान विद्वान के सह-गाइड होंगे।
 - अनुसंधान विद्वान के पंजीकरण के तीन वर्ष के बाद नये गाइड को लेने पर डाक्टरल समिति विचार करेगा।

आर.8 गाइड का परिवर्तन/जोड़

अनुसंधान विद्वान के डाक्टरल समिति गाइड के परिवर्तन या सह गाइड की नियुक्तिके लिए वैध कारणों के लिए सिफारिश कर सकती है।

आर.9 डाक्टरल समिति

विद्वान के लिए गाइड संस्थान के प्रधान को या उसके द्वारा नामित को अनुसंधान का क्षेत्र, गाइडों का नाम, और पैनल में रहे नाम, संकाय सदस्यों के विशेषज्ञता सूचित करते हुए डाक्टरल समिति के विचारार्थ अनुसंधान विद्वान भर्ती होने की तारीख से 8 सप्ताह के अंदर सूचित करेगा।

डाक्टरल समिति का गठन निम्नप्रकार होगा :

1.	संस्थान के प्रधान या उसके द्वारा नामांकित	. अध्यक्ष
2.	अनुसंधान गाइड	. सदस्य
3.	आईआईआईटीडी व एम से कम से कम दो संकाय	. सदस्य
4.	अन्य विख्यात अकादमी संस्थान से एक संकाय सदस्य	. सदस्य

यदि कोई सदस्य एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए छुट्टी पर जाते हैं या संस्थान से पदत्याग करते हैं, अध्यक्ष, अकादमी सलाहकारी समिति या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/अध्यक्ष, डाक्टरल समिति या उसके द्वारा नामांकित के सलाह पर दूसरा सदस्य को नामित करेगा।

वैज्ञानिक/ अभिकल्पना कर्मचारी और अन्य जो पीएचडी विद्वानों को गाइड करते हैं को डाक्टरल समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।

आर. 10.0 पंजीकरण

- डाक्टरल समिति सामान्यतः संगठित होने के एक महिने के अंदर मिलेगी जहाँ अनुसंधान विद्वान अपनी प्रस्तुति करेंगे। डाक्टरल समिति पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण दिनांक नियत या अनुमोदन करेगा। इस बैठक में प्रस्तावित अनुसंधान शीर्षक और अध्ययन के कोर्स को निर्धारित या अनुमोदित करेगा।
- अनुसंधान विद्वान जो बाह्य अभिकरण द्वारा समर्थित परियोजना में लगा है को प्रवेश पाने की तारीख से छः महिने तक पीछे की तारीख डाक्टरल समिति के कारण सहित बताने पर दिया जा सकता है। डाक्टरल समिति की सिफारिश के आधार पर अकादमी सलाहकारी समिति एक और छः महिने पीछे की तारीख से दे सकता है।

आर.11 कोर्स काम

डाक्टरल समिति सामान्यतः दो कोर और न्यूनतम चार वैकल्पिक निर्धारित करेगी।

निर्धारित कोर्स संस्थान के या आईआईटी के स्नातकोत्तर स्तर पर हो सकता है।

- इंजीनियरिंग और विज्ञान के पीएचडी अनुसंधान विद्वान कोर कोर्स और कम से कम दो विकल्प कोर्स पूरा करना है। जो विद्वान सीधे पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश, इंजीनियरिंग में पाये हैं, जिसके पास इंजीनियरिंग/ टैक्नोलॉजी के स्नातक उपाधि हैं या विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखे हैं योग्य हैं या अनुसंधान विद्वान जो आईआईआईटीडीएम के पी.जी/एमटेक पाठ्यक्रम से पीएचडी में प्रवेश पाये हैं को 5 कोर कोर्स और डाक्टरल समिति द्वारा निर्धारित 5 में से न्यूनतम 3 वैकल्पिक कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करना है। आईआईआईटीडीएम में पी जी/एमटेक पाठ्यक्रम से यदि विद्वान अपग्रेड करता है तो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में विद्वान द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किये कोर्स डाक्टरल समिति द्वारा कोर्स कार्य आवश्यकताओं के लिए विचार किया जा सकता है। डाक्टरल समिति द्वारा ही निर्धारित कोर्स में परिवर्तन किया जा सकता है। डाक्टरल समिति जहाँ भी आवश्यक समझती है विद्वानों के लिए अतिरिक्त कोर्स नियत कर सकता है।
- इस संस्थान में या अन्य संस्थानों में अनुसंधान विद्वान द्वारा पहले ही किये गये कोर्स का क्रेडिट डाक्टरल समिति द्वारा दिया जा सकता है बशर्ते वे निर्धारित के समतुल्य या वही हो, और उसमें विद्वान के कार्यनिष्पादन स्तर न्यूनतम आवश्यकताओं से मिलता हो। जहाँ भी आवश्यक हो अनुसंधान विद्वान के लिए डाक्टरल समिति अतिरिक्त कोर्स निर्धारित कर सकता है।
- ग्रेड

सेमेस्टर कार्यनिष्पादन के आधार पर प्रत्येक छात्र को प्रत्येक विषय में सेमेस्टर के अंत में अंतिम ग्रेड प्रदान किया जाएगा।

ग्रेड और उससे इंगित ग्रेड पाइंट निम्नप्रकार है :

ग्रेड	पाइंट
एस	10
ए	9
बी	8
सी	7
डी	6

अनुसंधान विद्वान उनके द्वारा लिये गये कोर्स में न्यूनतम 7.5 सीपीजीए लेना है, निर्धारित कोर्स में “सी” ग्रेड के न्यूनतम के अधीन है। यदि न्यूनतम से अधिक आवश्यक लिया गया है तो सीपीजीए की गणना के लिए सर्वोत्तम अंक लिये विकल्प को लिया जाएगा।

एक छात्र को तभी सफलतापूर्वक विषय पूरा किया हुआ माना जाएगा जब ग्रेड डी से इतर ग्रेड पाया हो। यदि एक बार विषय सफलतापूर्वक पूरा किया हुआ तो उसे पुनः नहीं लिखा जा सकता है।

जीपीए की गणना निम्नलिखित फार्मुला द्वारा की जाएगी

$$GPA = \Sigma(C \times GP) \div \Sigma C$$

जहाँ सी कोर्स के लिए क्रेडिट है और जीपी सफलतापूर्वक पूरा किये कोर्स में प्राप्त ग्रेड पाइंट ।

आर.12. प्रगति रिपोर्ट

- एक पंजीकृत अनुसंधान विद्वान एक लिखित रिपोर्ट प्रथम तीन वर्ष वार्षिक तौर पर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा और उसके बाद प्रत्येक छः महीनों में एक बार प्रस्तुत करना है। रिपोर्ट निदेशक या उनसे नामांकित को गाइड द्वारा डाक्टरल समिति के विचारार्थ भिजवाना है।
- अनुसंधान विद्वान द्वारा की गयी प्रगति का पुनरीक्षण डाक्टरल समिति द्वारा वर्ष में एक बार प्रथम तीन वर्ष के लिए और उसके बाद प्रत्येक छः महीने में एक बार किया जाएगा।

डाक्टरल समिति की सिफारिश के आधार पर पंजीकरण को जारी रखना और पुरस्कार/छात्रवृत्ति जारी रखना/ अनुसंधान एसिस्टेन्टशिप होगा। अपर्याप्त प्रयास/प्रगति के कारण पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है।

आर.12a व्यापक परीक्षा

- प्रत्येक पीएचडी विद्वान व्यापक परीक्षा लेगा और संतोषजनक रूप में परिणाम पाना है। व्यापक परीक्षा समिति द्वारा जिसमें डाक्टरल समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित एक विद्वान और संस्थान के कम से कम दो अन्य संकाय होंगे, व्यापक परीक्षा चलायी जाएगी।
- व्यापक परीक्षा में अनुसंधान विद्वान का कार्यनिष्पादन यदि प्रथम बार संतोषजनक नहीं है तो उन्हें परीक्षा लिखने की तारीख से छः महीने के अंदर एक और बार व्यापक परीक्षा लिखने का मौका दिया जाएगा। अनुसंधान विद्वान के पंजीकरण जो दो कोशिशों के बावजूद व्यापक परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल हुआ है और चाहता है तो उन्हें पीएचडी पाठ्यक्रम से पी जी पाठ्यक्रम को बदलने के लिए विकल्प दिया जाएगा नहीं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
- व्यापक परीक्षा का उद्देश्य यह है कि अनुसंधान विद्वान के सामान्य क्षमता का परीक्षण उनके अनुसंधान क्षेत्र में करना है। व्यापक परीक्षा में सामान्यतः लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा या मौखिक परीक्षा होगी। व्यापक परीक्षा समिति अनुसंधान विद्वान को पर्याप्त समय पूर्व व्यापक परीक्षा चलाये जाने की तारीख को सूचित करना है ताकि विद्वान पर्याप्त रूप में उसके लिए तैयार हो।
- पीएचडी अनुसंधान विद्वान व्यापक परीक्षा को पीएचडी में पंजीकरण करने की तारीख से एक वर्ष के अंदर व्यापक परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने की आशा की जाती है और किसी भी हालत में पीएचडी में पंजीकरण करने की तारीख से तीन सेमेस्टर से अधिक समय नहीं लेना है।

आर.13 पंजीकरण

सभी अनुसंधान विद्वान जो आवासी हैं और जिनका पंजीकरण जारी है को आवश्यक शुल्क अदा करने के बाद, थीसिस समर्पित करने तक प्रत्येक सेमेस्टर में निर्धारित तारीख को पंजीकरण करना है। जो आवासी नहीं है गाइड के कार्यनिष्पादन रिपोर्ट के साथ आवश्यक शुल्क अदा करने के बाद अनुपस्थिति में पंजीकरण कर सकते हैं।

आर.14 न्यूनतम आवासी आवश्यकताएँ

- नियमित पूर्ण कालीन अनुसंधान विद्वान को इंजीनियरिंग में पीएचडी पाठ्यक्रम में पंजीकरण करने की तारीख से अध्ययन और अनुसंधान तथा थीसिस समर्पित करने के लिए न्यूनतम अवधि 24 महिना है इंजीनियरिंग / टैकनोलाजी में स्नातकोत्तर उपाधि रखनेवालों के लिए और निम्नलिखितों के लिए 36 महीने हैं
 - विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखनेवाले अनुसंधान विद्वानों के लिए
 - इंजीनियरिंग/तकनोलाजी में स्नातक उपाधि के साथ सीधे पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाये अनुसंधान विद्वानों के लिए
 - आईआईआईटीडी व एम में पी जी/एमटेक से अपग्रेड होकर पीएचडी पाठ्यक्रम में भर्ती हुए अनुसंधान विद्वान
- नियमित पूर्ण कालीन अनुसंधान विद्वान को विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन में पीएचडी पाठ्यक्रम में पंजीकरण करने की तारीख से अध्ययन और अनुसंधान के लिए न्यूनतम अवधि 24 महिना है और उसके अंदर थीसिस समर्पित करना है।
- डाक्टरल समिति की विधिवत सिफारिश पर अस्वस्थ या अन्य वैध कारणों से सेमेस्टर या उससे लम्बी अवधि के लिए पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

आर.15. काम करने के लिए पहेचडी पाठ्यक्रम से भारमुक्ति

पीएचडी विद्वान जिसको काम मिला है पाठ्यक्रम से भारमुक्ति दी जा सकती है, प्रत्येक सेमेस्टर के भुगतान भरकर पंजीकरण को निम्नलिखित शर्तों पर :

विद्वान जो नौकरी करना चाहते हैं, अनरोध पर उन्हें डाक्टरल समिति की सिफारिश पर भारमुक्ति किया जाएगा बशर्ते निम्नलिखित पूरा किया हो

- न्यूनतम आवासी आवश्यकताएँ
- कोर्स कार्य और
- व्यापक परीक्षा

उनके पंजीकरण के नवीकरण प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर के लिए तभी विचार किया जाएगा जब डाक्टरल समिति उनकी प्रगति से संतुष्ट हो और पंजीकरण को जारी रखने के लिए सिफारिश करता हो।

आर.16 पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि

पीएचडी विद्वानों को पंजीकरण की तारीख से 5 वर्ष के अंदर थीसिस समर्पित करना है। डाक्टरल समिति समर्पित करने की उस अवधि को नियमित पूर्ण कालीन विद्वानों के लिए और 2 वर्ष दे सकता है।

आर.16a पाठ्यक्रम से वापसी

डाक्टरल समिति की सिफारिश पर अस्वस्थता या अन्य वैध कारणों के लिए एक सेमेस्टर या उससे अधिक अवधि के लिए किसी विद्वान को उनका विभागाध्यक्ष संस्थान से वापसी करने की अनुमति दे सकते हैं। सामान्यतः किसी विद्वान को अधिकतम दो सेमेस्टर के लिए ही जारी न रखने की अनुमति दी जाएगी।

आर.17 पंजीकरण की रद्दी

- डाक्टरल समिति द्वारा यदि अनुसंधान विद्वान की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई तो या जो नामांकन नहीं किया है उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
- आर.16 के अनुसार अनुसंधान विद्वान जो अपना थीसिस अधिकतम अनुमेय समय के अंदर समर्पित नहीं करता है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जाएगा।

आर.18 अपग्रेड पीएचडी पाठ्यक्रम को संशोधित करके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में लाना

- एक अनुसंधान विद्वान जो अपना पी.जी पंजीकरण को पीएचडी में अपग्रेड करता है, पुनः पी जी पाठ्यक्रम के लिए यदि चाहता है तो उसी गाइड के तहत रिवर्शन के लिए आवेदन दे सकता है बशर्ते उन्हें पी जी के मूल पंजीकरण की तारीख से तीन वर्ष पूरा होना है।
- यदि अनुसंधान विद्वान जो अपना पी.जी पंजीकरण को पीएचडी में अपग्रेड कर लेता है पर व्यापक परीक्षा को दो बारी में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उन्हें पी जी पाठ्यक्रम में रिवर्ट कर दिया जाएगा।

डाक्टरल समिति आवेदन पर तभी विचार करेगा जब विद्वान सामान्य परीक्षण समिति द्वारा मूलतः पी.जी पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित सभी कोर्स आवश्यकताओं की पूर्ति किया हो और अब तक किये गये अनुसंधान कार्य पी.जी थीसिस के लिए उपयुक्त पाया गया हो। यदि आवेदन स्वीकरणीय है तो डाक्टरल समिति पंजीकरण संशोधन के लिए सिफारिश कर सकता है। यदि संशोधन संस्थान द्वारा अनुमोदित हो जाता है, तो भी डाक्टरल समिति सामान्य परीक्षण समिति के रूप में पी जी पाठ्यक्रम पूरा होने तक अपना कार्य जारी रखेगा। पीएचडी से पी जी के वापसी के दिनांक से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अंदर पी जी उपाधि की आवश्यकताओं को विद्वान पूरा करना है।

आर.19 सिनाप्सिस (ठोस बिंदु)

- निर्धारित कोर्स, व्यापक परीक्षा और अनुसंधान कार्य के संतोषजनक पूर्ति पर विद्वान को आवश्यक सिनाप्सिस की प्रतियों को निर्धारित प्रपत्र में गाइड द्वारा अकादमी अनुभाग को डाक्टरल समिति के विचारार्थ समर्पित करना है। सिनाप्सिस के समर्पण के पहले विद्वान को कम से कम दो संगोष्ठी अपने अनुसंधान के विषय पर प्रस्तुत करना है और कम से कम एक पेपर या तो प्रकाशित या प्रकाशन के लिए स्वीकृत होना है, यदि वह संदर्भित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल तो बेहतर होगा।
- डाक्टरल समिति के सामाने अनुसंधान विद्वान सिनाप्सिस प्रस्तुत करेंगे। डाक्टरल समिति सिनाप्सिस में रिपोर्ट किये गये कार्य का अनुमोदन प्रदान करेगा। यदि डाक्टरल समिति यदि सिनाप्सिस का अनुमोदन प्रदान करता है तो अनुसंधान विद्वान को थीसिस समर्पित करने का अनुमति प्रदान करता है और कम से कम संस्थान से इतर, (बाहर के विश्व विद्यालय) बाहर के आठ परीक्षकों की पैनल की सिफारिश करता है।

आर.20 थीसिस समर्पण

सिनाप्सिस की स्वीकृति के एक महीने के अंदर अनुसंधान विद्वान आवश्यक थीसिस प्रतियों को और निर्धारितानुसार थीसिस के सार को समर्पित करना है।

वैध कारणों पर विद्वान द्वारा एक महीने से अधिक अवधि का अनुरोध किये जाने पर डाक्टरल समिति प्रदान कर सकता है।

आर.21 परीक्षकों के पैनल

थीसिस को सिनाप्सिस बैठक में डाक्टरल समिति द्वारा सिफारिश की गयी परीक्षकों के पैनल में से अध्यक्ष, अकादमी सलाहकारी समिति/सेनेट या उसके द्वारा नामित द्वारा चुने गये दो परीक्षकों के यहाँ संदर्भित किया जाएगा।

आर.22 थीसिस रिपोर्ट

- परीक्षक को थीसिस प्राप्त करने की तारीख से दो महीनों के अंदर थीसिस पर रिपोर्ट तैयार कर वापस भिजवाने की अपेक्षा की जाती है।
- थीसिस रिपोर्ट पाने की असाधारण देरी में, अध्यक्ष, एमसी/सेनेट या उसके द्वारा नामांकित एक दूसरे परीक्षक को थीसिस के मूल्यांकन हेतु उनके स्थान पर तैनात कर सकता है।
- यदि दो में से एक परीक्षक घोषणा करता है कि थीसिस स्वीकरणीय नहीं है तो थीसिस को तृतीय परीक्षक को जो मूल्यांकन पैनल में है, को संदर्भित किया जा सकता है।
- यदि परीक्षक रिविशन के बाद, थीसिस को पुनर्समर्पित करने का सुझाव देता है तो अनुसंधान विद्वान को डाक्टरल समिति द्वारा निर्धारित समय के अंदर समर्पित करने की अनुमति दी जाती है, उस अवधि तक न समर्पित करने पर संशोधित थीसिस स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

- (e) यदि दो परीक्षक, आवश्यकता पडने पर तृतीय परीक्षक को संदर्भित करने के बाद, थीसिस रिपोर्ट में स्वीकरणीय न आने पर विद्वान के पंजीकरण रद्द माना जाएगा।
- (f) यदि दो परीक्षक, आवश्यकता पडने पर तृतीय परीक्षक को संदर्भित करने के बाद, थीसिस रिपोर्ट में स्वीकरणीय आने पर डाक्टरल समिति रिपोर्टों पर विचार करेगा और मौखिक परीक्षा चलाने की सिफारिश करेगा जो सामान्यतः मौखिक बोर्ड के गठन की तारीख से कम से कम दो सप्ताह के बाद होगा। डाक्टरल समिति न्यूनतम चार विशेषज्ञ सदस्यों के पैनल का सुझाव देगा जिनमें से एक सदस्य को मौखिक बोर्ड में नामांकित किया जाएगा।
- (g) अन्य सभी मामलों को, जो ऊपर के विनियम में दर्शाया नहीं गया है, डाक्टरल समिति को विचारार्थ संदर्भित किया जाएगा।

आर.23 मौखिक परीक्षा

- (a) मौखिक परीक्षा बोर्ड का गठन निम्नप्रकार है :

i)	संस्थान के प्रधान या उससे नामांकित	अध्यक्ष
ii)	इसी देश के थीसिस के परीक्षक	
	या अध्यक्ष/एएसी/सेनेट द्वारा नामित विशेषज्ञ हैं	
	जो इस विषय के या डाक्टरल समिति द्वारा	
	अनुमोदित परीक्षकों के पैनल से उससे नामांकित	
iii)	अनुसंधान गाइड	
iv)	एक विशेषज्ञ या तो संस्थान के या डाक्टरल समिति द्वारा	
	अनुमोदित पैनल से बाहर के व्यक्ति और अध्यक्ष, एएसी/सेनेट	
	द्वारा नामांकित	

- (b) मौखिक परीक्षा के लिए संबंधित अनुसंधान विद्वान के डाक्टरल समिति सदस्यों को बुलाया जाएगा।
- (c) मौखिक परीक्षा बोर्ड, विद्वान की परीक्षा, उनके थीसिस कार्य पर करेगा उसके कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन संतोषजनक या अन्यथा करेगा।
मौखिक परीक्षा बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि थीसिस परीक्षकों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक रूप में दिया गया है।
- (d) यदि मौखिक परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट घोषणा करती है कि अनुसंधान विद्वान का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं है तो उन्हें पुनः मौखिक परीक्षा में बाद की तारीख में (कम से कम एक महीने के बाद और अधिक से अधिक प्रथम मौखिक परीक्षा होने की तारीख से छः महीनों के अंदर) उपस्थित होने के लिए निर्देशा दिया जाएगा।
दूसरे अवसर पर भी डाक्टरल समिति के सदस्य को मौखिक परीक्षा बोर्ड में शामिल किया जाएगा।
- (e) यदि मौखिक परीक्षा बोर्ड दूसरी बार भी अनुसंधान विद्वान के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन असंतोषजनक/ संतोषजनक नहीं है करता है तो इस मामले को एएसी/सेनेट के निर्णय के लिए संदर्भित किया जाएगा।
- (f) मौखिक में हुई परिचर्चा और परीक्षक के सुझाव जो थीसिस को मूल्यांकित किये हैं पर विचार करने के बाद थीसिस के अंतिम रूप में किये जानेवाले संशोधन की सिफारिश भी मौखिक बोर्ड कर सकता है।
मौखिक बोर्ड के अध्यक्ष, अकादमी अनुभाग को थीसिस अग्रेषित करते हुए प्रमाणित कर सकता है कि मौखिक परीक्षा बोर्ड द्वारा की गयी संशोधन सिफारिश, यदि हो तो, मौखिक बोर्ड की रिपोर्ट के साथ, थीसिस की प्रतियों में जोड़ी गयी है।
- (g) पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए मौखिक परीक्षा बोर्ड की सिफारिश के बाद सभी अनुसंधान विद्वान थीसिस के अंतिम रूप को ए5 आकार में दो प्रतियों में समर्पित करेंगे और पीडीएफ फार्मट में इलक्ट्रानिक वर्जन में समर्पित करेंगे।

आर.24 पीएचडी उपाधि प्रदान करना

यदि मौखिक परीक्षा में अनुसंधान विद्वान का कार्यनिष्पादन संतोषजनक है तो उन्हें एएसी/सेनेट की सिफारिश पर और संस्थान के बोर्ड आफ गवर्नर्स के अनुमोदन के साथ पीएचडी उपाधि प्रदान किया जाएगा।

आर.25 अनुशासन

प्रत्येक छात्र को अनुशासन का अनुपालन करना है और कैम्पस के अंदर और बाहर अच्छी तरह व्यवहार करना है और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे संस्थान के मान पर कलंक हो।

छात्र के कोई भी अनुशासनहीन कार्य संस्थान के प्रधान के यहाँ रिपोर्ट किया जाएगा और संस्थान की अनुशासन और कल्याण समिति को जो एएसी/सेनेट द्वारा समय समय पर नामित है रिपोर्ट किया जाएगा।

समिति आरोप पर पूछताछ करेगी और आरोप सही है तो उपयुक्त दंड की सिफारिश करेगी। समिति की सिफारिशों पर संस्थान के प्रधान विचार करेगा और उचित कार्रवाई लेगा।

संस्थान के प्रधान सेनेट को अगली बैठक में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

आर.26 संशोधन की शक्ति

उक्त सभी विषयों के होते हुए भी समय समय पर किसी भी विनियम को संशोधित करने का हक एएसी/ सेनेट रखती है।

ORDINANCES AND REGULATIONS
Doctor of Philosophy Programme

Ph.D ORDINANCES AND REGULATIONS

ORDINANCES

- 1 A candidate who has qualified for the award of Master's degree in Engineering I Technology and Science of a recognized I nstitute or University in the discipline as prescribed in the regulations of the Academic Advisory Committee (hereafter, AAC) I Senate is eligible to apply for the Ph.D. programme in Engineering I Technology and Science respectively of this Institute.
- 2 A candidate who has qualified for the award of Bachelor's Degree in Engineering\Technology with exceptionally good academic background in the discipline as prescribed in the regulations of the Institute is also eligible to apply for Ph.D programme in Engineering\Technology of this Institute.
- 3 The award of the Ph.D degree shall be in accordance with the regulations of the Senate of this Institute.

REGULATIONS

R.1 Categories of Admission

Candidates will be admitted to the Ph.D programme of the Institute under one of the following categories:

- i. Regular full-time scholars with or without Institute fellowship or with project support.
- ii. Research scholars who are staff members of the Institute.

R.2 Eligibility

R.2.1 Minimum Educational Qualifications

Qualification for Regular Full-Time Research: The minimum educational qualification for admission to the Ph.D programme of the Institute are as follows:

R.2.1.1 Ph. D. in Engineering

- i. Candidates with a Master's degree in Engineering\Technology with a good academic record or a Master's degree by Research in Engineering\Technology disciplines, with a good academic record.
- ii. Candidates with Master's degree in Sciences with a good academic record and of exceptional merit where eligible for the relevant Engineering discipline and with a valid GATE score or UGCICISIR- NET INBHM or equivalent qualification in the relevant area tenable for the year of registration. In the case of candidates with more than 5 years of relevant experience after the Master's degree, the requirement of a test score may be waived by the Selection Committee.
- iii. Candidates who have qualified for the award of Bachelor's degree in Engineering/Technology with exceptionally good academic record in an eligible discipline will be considered for direct admission to Ph. D. Programme as a regular full time scholar subject to the following conditions:
 - o a B. Tech degree holder of an IIT with a minimum CGPA of 8.0 on a 10.0 point scale or with a valid GATE score.
 - o a Bachelor's degree holder in Engineering/Technology from any other University should be among the top 10 rank holders in the University and having a valid GATE score.
 - o a Bachelor's degree holder in Engineering/Technology from a reputed R&D organization and having a proven research record.

2.1.2 Ph.D. In Sciences

Master's degree in Sciences with a good academic record and having a valid GATE score or UGC/CSIR-NET /NBHM or equivalent qualification tenable for the current year in the relevant area / Master's degree in Engineering/Technology are eligible with a good academic record / B.Tech degree holder of an IIT are eligible with a minimum of CGPA of 8.0 on a 10.0 point scale or with a valid GATE Score.

2.1.3 For Research Scholars in the above categories, the minimum educational qualifications are the same as prescribed for full time research Scholars in 2.1.1 and 2.1.2 for admission to the Ph.D programme in the respective categories.

However, valid GATE score or CSIR/RGC JRF or Lectureship/NBHM /JMET/CAT/AIMA or equivalent qualification as applicable for regular full time research scholars may not be required in these cases.

(The list of eligible disciplines in which the minimum educational qualifications have to be obtained will be provided by each department in the Admissions Brochure, which will be updated from time to time).

The Selection Committee may find fit to consider meritorious candidates from disciplines other than listed in the Admission Brochure if there is a good match between the educational/research background of the candidate and the proposed area of research.

The admission brochure will also include details about inter-disciplinary research areas, which may be pursued by the research scholars for the Ph. D degree and the corresponding eligible disciplines given by the Institute.

Additional and stiffer criteria than the minimum educational qualifications given in R.2.1 may be set by the Selection Committee from time to time for short listing candidates to be called for interview and I or test.

R.2.2 Upgradation of registration from M.S/M.Tech to Ph.D programme

Meritorious candidates who have registered for M.S/M.Tech programmes are eligible to upgrade their registration to the Ph. D programme in the same department if they satisfy the following criteria:

(a) The candidate should have been registered for a minimum of 2 semesters in the M.S/M.Tech programme.

(b) Minimum CGPA of B.O in the prescribed courses.

In the case of a M.S. Scholar, the General Test Committee of the M.S. scholar will consider the application for up-gradation to Ph.D. under the supervision of the same guide(s) and make its recommendation to the Senate. If approved, a Doctoral Committee as per R.9 will be constituted to replace the General Test Committee.

In the case of a M.Tech. Student, a Committee duly constituted by the Director I Deputy Director will consider the application for up-gradation to Ph.D and make its recommendation to the Senate. If approved, a Doctoral Committee as per R.9 will be constituted and guide(s) as per R.6 will be allotted.

The candidate should pass the comprehensive examination (R. 12a) within a semester after up-gradation to the Ph.D. programme and within two attempts.

The candidate will be treated on par with one admitted directly after a Bachelor's degree, but with the residency period and course work completed under the M.S/M.Tech. registration as decided by the Doctoral Committee credited to the Ph.D programme.

R.3 International Students

Foreign nationals can only register as regular full-time scholars. Foreign nationals with degree from Indian Universities will be treated on par with Indian nationals for admission purposes. Foreign nationals with foreign degrees must meet the minimum educational requirements as given in R. 2. 1 equivalent to a Indian Master's degree in the relevant disciplines.. In addition, they should have a valid GRE/GMAT/GATE/NET/ICAT /JMET/ TOEFL or an equivalent examination score in the relevant discipline. International students are expected to have a working knowledge of English. Once admitted, the institute will apply for necessary clearance from the Government of India for study in India.

R.4 Selection Procedure

Eligible candidates possessing the minimum educational qualifications and satisfying additional criteria set by the Director I Deputy Director from time to time will be called for an interview and for Test by the Selection Committees.

For candidates who have obtained PG degree 10 years earlier as on the Last date prescribed for receipt of the completed application, a specialization test may be conducted.

The applications of foreign nationals may be considered without a personal interview I test.

Based on the academic record and the performance of the candidates in the interview and /or test, the Selection Committee will recommend to the Chairman, Academic Advisory Committee the names of Candidates found suitable for admission to the Ph.D. Programme.

R.5 Admission

- (a) Candidates whose selection is approved by the Chairman, Academic Advisory Committee will be admitted to the Ph. D. programme after payment of prescribed fees.
- (b) Ordinarily, a candidate is not eligible for re-registration for Ph. D. after cancellation of his / her earlier registration for any reason. Based on the merits of the individual case and taking into consideration any special circumstances, a candidate may be considered for re-registration.

R.6 Choice of guide(s)

- (a) Allotment of research scholars to guide(s) will be made by the Director / Dy Director taking into consideration the preferences given by the research scholars and guides.
- (b) There shall be not more than two guides from the institute for a research scholar.

R.7 Eligibility for being guides

The following members may be a guide for a Ph. D scholar:

- All faculty members of the Institute.
- Scientific/Design staff of the Institute with a doctoral degree.

Continuance of retired faculty members / emeritus faculty as guides:

- (a) When a faculty member, who has guided a candidate for at least 3 years, retires, he will continue to be a guide. However, a co-guide who is in service will be appointed in addition. The guide who has retired will be invited for the Doctoral Committee meetings, synopsis meeting and the viva voce examination.
- (b) A faculty member who is to retire within 3 years may be permitted to become a guide to a new scholar with another faculty member, who is not likely to retire with in 5 years as co-guide, at the time of registration itself. On retirement, the faculty member will continue to be a guide and will be invited to the Doctoral committee meeting and viva voce examination.

- (c) CSIR and other Emeritus Fellows / Scientists I Emeritus Professors, who hold office at this Institute for a period of 2 years or more, can become co-guides for scholars along with a guide from IIITD&M, with at least 5 years service still left at the time to of registration of the scholar.
- (d) In case a faculty member who is a guide goes on leave exceeding one year duration, another faculty member will be identified to become a co-guide of the research scholar.
- (e) The induction of new guides after 3 years of registration of a research scholar will be considered by the Doctoral committee.

R.8 Change/Addition of guide

The Doctoral Committee of a research scholar may recommend change of guide or appointment of a co-guide for valid reasons.

R.9 Doctoral Committee

The guide will intimate to the Head of the Institute or his nominee for the scholar, the area of research, the name(s) of the guiders) and an panel of names, indicating the area of specialization of faculty members for constitution of a Doctoral Committee, within 8 weeks of the date of joining of the research scholar.

The following is the composition of the Doctoral Committee:

1.	Head of the Institute or his nominee	Chairman
2.	Research Guide(s)	Member(s)
3.	A minimum of two faculty members from IIITD&M	Member
4	One faculty member from other Reputed academic institute	Member

In case any member goes on leave exceeding one year duration, or resigns from the Institute, the Chairman, Academic Advisory Committee or his nominee will nominate another member on the suggestion of the Chairman, Doctoral committee. Scientific/Design staff and others who are eligible to guide Ph.D. scholars may be nominated as members of the Doctoral Committee.

R.10 Registration

- (a) The Doctoral Committee will meet normally within a month of being constituted, where the research scholar will make a presentation. The Doctoral Committee will fix/ approve the date of registration for the Ph. D. programme, consider the proposed research topic and prescribe/approve the courses of study in this meeting.
- (b) The registration may be backdated for research scholars employed in projects supported by an external agency by up to 6 months from the date of admission to the programme, on the recommendation of Doctoral Committee with justification. Based on the recommendation of the Doctoral Committee, the Academic Advisory Committee may, additionally permit backdating by a further period of 6 months.

R.11.Course Work

The Doctoral Committee will normally prescribe two core courses and at least four electives. The prescribed courses shall be post-graduate level courses of the Institute or from an IIT.

- (a) Ph. D research scholars in the Engineering and Sciences shall complete the core courses and at least two electives. In cases where the scholar is directly admitted to the Ph.D programme in Engineering with a Bachelor's degree in Engineering/Technology or with a Master's degree in science where eligible or where the research scholar updates from the

M. 5/ M. Tech programme at IIITDM to the Ph. D programme, the scholar should successfully complete 5 core courses and 3 electives out of a minimum 5 prescribed by the Doctoral Committee. In the case of a scholar upgrading to the Ph. D programme in Engineering from the M.S/M.Tech programme at IIITDftM, the courses already successfully completed by the scholar in the Master's Programme may be considered by the Doctoral Committee for the course work requirements. Changes in prescribed courses shall be made only by the Doctoral Committee. The doctoral Committee may prescribe additional courses for a scholar wherever found necessary.

- (b) The Doctoral Committee may give credit to courses already undergone by a research scholar in this Institute or other Institutions, provided they are the same or equivalent to those prescribed, and the performance level of the scholar in them meets the minimum requirements. The Doctoral Committee may prescribe additional courses for research scholars wherever found necessary.

(c) **Grades**

Based on the semester performance, each student is awarded a final grade at the end of the semester in each subject. The grades and the corresponding grade points are as follows:

Grade	Points
S	10
A	9
B	8
C	7
D	6

Research scholars shall obtain a minimum CGPA of 7.5 in the courses taken by them subject to a minimum of "HC" grade in the prescribed courses. If more than the minimum required electives have been taken, only the electives with the best performance will be considered for computing the CGPA.

A student is considered to have completed a subject successfully and earned the credits if he secures a grade other than D. Once a subject successfully completed, it cannot be repeated.

The GPA will be calculated according to the formula

$$GPA = \frac{\sum(C \times GP)}{\sum C}$$

Where C is the credit for the course and GP is the grade point obtained for the successfully completed courses.

R.12.Progress Report

- (a) A registered research scholar shall submit a written report in the required format, annually for the first three years, and every six months thereafter. The report should be routed through the guide to the Director or his nominee for consideration by the Doctoral Committee.
- (b) The progress made by a research scholar shall be reviewed by the Doctoral Committee once a year for the first 3 years and every six months thereafter.

Continuance of registration and award/continuance of scholarship/Research Assistantship will be based on the recommendation of the Doctoral Committee. Inadequacy of effort/progress can be a reason for cancellation of registration.

R.12a Comprehensive Examination

- (a) Every Ph.D scholar shall take and perform satisfactorily in a Comprehensive Examination. The comprehensive Examination shall be conducted by a Comprehensive Examination Committee, consisting of the scholar and at least two other faculty members of the Institute nominated by the Chairman of Doctoral Committee.
- (b) If the performance of a research scholar in the Comprehensive Examination in the first attempt is not satisfactory, he / she will be given one more opportunity to appear for the comprehensive examination within six months of the first attempt.
The registration of a research scholar who fails to complete successfully the Comprehensive Examination in both attempts, will be given an option to convert his/her registration from Ph. D to M. S. programme if he/she so desired, otherwise his /her registration will be cancelled.
- (c) The objective of the Comprehensive Examination is to test the general capability of the research scholar and the breadth of his / her field of research.
The Comprehensive Examination will usually consist of a written test and oral examination or a oral examination.
The Comprehensive Examination Committee shall intimate to the research scholar sufficiently in advance the scope of the Comprehensive Examination, so as to enable the scholar to prepare adequately for it.
- (d) The Ph.D research scholars are normally expected to complete successfully the Comprehensive Examination within a year after his/her registration in the Ph. D programme and in any case not later than three semesters after his registration in the Ph.D programme.

R.13 Enrolment

All research scholars who are in residence and whose registration is still in force, are required to enroll in person each semester on the stipulated date till their submission of thesis after payment of the requisite fees. Those not in residence may enroll in absentia after payment of the requisite fees along with the performance report from the Guide.

R.14 Minimum Residential Requirement

- (a) The minimum period of study and research for regular full time research scholars required at the Institute from the date of registration for the Ph.D. Programme in Engineering to the date of submission of Ph.D. thesis shall be 24 months for research scholars with Master's Degree in Engineering/Technology; 36 months for
 - (i) research scholars with Masters Degree in Sciences,
 - (ii) research scholars directly admitted to the Ph.D Programme with Bachelor's degree in Engineering/Technology
 - (iii) for research scholars who upgrade from the M.S/M.Tech Programme at IIITD&M to the Ph.D Programme.
- (b) The minimum period of study and research for regular full time research scholars from the date of registration for the Ph.D Programme in Sciences, Humanities and Social Science and Management to the date of submission of the Ph.D thesis shall be 24 months.

- (c) Withdrawal from the programme is permitted for a semester or longer for reasons of ill health or other valid grounds as duly recommended by Doctoral Committee.

R.15 Relief from Ph.D. Programme to take up job

Ph.D. Scholars who got a job offer can get relief from the programme, while keeping their registration alive on payment of the requisite fees every semester, on the following condition: Scholars who take up jobs will be relieved on their request, based on the recommendations of Doctoral Committee, if they have completed their

- (a) Minimum residential requirement;
- (b) Course work and
- (c) Comprehensive examination.

The renewal of their registration for every year/semester however, will be considered only if the Doctoral Committee finds his/her progress to be satisfactory and recommends continuance of registration.

R.16 Maximum Duration of Programme

Ph.D. Research Scholars should submit the thesis within 5 years from the date of registration. The Doctoral Committee may extend the period of submission of the thesis further 2 years for regular full time research scholars.

R.16a Withdrawal from the programme

A scholar may be permitted by the Head of the Institute to withdraw from the programme for a semester or longer for reasons of ill health or other valid grounds duly recommended by the Doctoral Committee. Normally a scholar will be permitted to discontinue from the programme only for a maximum continuous period of two semesters.

R.17 Cancellation of Registration

- (a) The registration of a research scholars whose progress is not found to be satisfactory by the Doctoral Committee or who has not enrolled is liable to be cancelled.
- (b) The registration of a research scholar who has not submitted his/her thesis before the end of the maximum permissible period as in R. 16 will be cancelled

R.18 Reversion of upgraded Ph.D Registration to Master's Programmes

- (a) A research scholar who updates his/her M. S. registration to Ph.D, may apply for reversion to the M.S. Programme under the supervision of the same guide(s) if he/she so desires and if he/she has completed three years after the date of original M. S registration.
- (b) If a research scholar, who upgrades his/her M.S. registration to Ph. D, fails to pass the comprehensive examination in two attempts, he/she will be reverted to the M.S. Programme.

The Doctoral Committee will consider the application only if the scholar has completed all the course requirements prescribed originally by the General Test Committee when the scholar registered for the M.S. programme and if the research work carried out till date is found suitable for submission as an M.S. thesis. If the application is found acceptable, the Doctoral Committee may recommend reversion of registration. If the reversion is approved by the Institute, the Doctoral Committee will continue to function as the General Test Committee till the completion of the scholar's M.S. programme.

The scholar must complete the requirements of the M.S. degree within a maximum period of one year from the date of reversion of the registration from Ph.D to M.S.

R.19 Synopsis

- (a) On satisfactory completion of the prescribed courses, the comprehensive examination and the research work, the scholar shall submit the requisite copies of the synopsis of his/her research work in the required format through the guide(s) and Institute to the Academic Section for consideration of the Doctoral Committee. Prior to submission of the synopsis, the scholar is required to give at least two seminar on the topic of his/her research and have at least one paper either published or accepted for publication preferably in a referred International journal.
- (b) The research scholar shall present the synopsis before the Doctoral Committee. The Doctoral committee will, if it approves the work reported in the synopsis, permit the research scholar to submit the thesis and recommend a panel of at least eight examiners from outside the Institute. (foreign universities)

R.20 Submission of Thesis

The research scholar shall, within one month of acceptance of the Synopsis, submit requisite copies of the thesis and abstract of the thesis as stipulated.

The Doctoral Committee may grant additional time beyond one month on request from the scholar for valid reasons.

R.21 Panel of Examiners

The thesis shall be referred to two examiners chosen by the Chairman, Academic Advisory Committee / Senate or his nominee from among the panel of examiners recommended by the Doctoral Committee at its synopsis meeting.

R.22 Thesis Report

- (a) The examiner is expected to send the report on the thesis within two months from the date of receipt of the thesis.
- (b) In case of undue delay in receiving the thesis report, the Chairman, MC / Senate or his/her nominee shall appoint another examiner in his/her place for evaluating the thesis.
- (c) If one of the two thesis examiners declares the thesis as not commended, the thesis shall be referred to a third examiner from the panel for his/her evaluation.
- (d) If an examiner suggests resubmission of the thesis, after revision, the research scholar will be allowed to resubmit the theses within the time stipulated by the Doctoral Committee failing which the revised thesis will not be accepted and his/her registration will be cancelled.
- (e) If two examiners, after referral to a third examiner, if necessary, report the thesis as not commended the registration of the scholar shall stand cancelled.
- (f) If reports of two examiners after referral to a third examiner, if necessary, declare the thesis as 'commended' the Doctoral Committee will consider the reports and recommend for conduct of viva voce which will be conducted normally not earlier than two weeks from the date of the constitution of the viva voce board. The Doctoral Committee will suggest a panel of at least four expert members out of which one member will be nominated for the viva voce board.

(g) In all other cases, not covered by the above Regulations the matter will be referred to the Doctoral Committee for consideration.

R.23 Viva Voce Examination

(a) The following is the composition of the viva voce Board:

1)	Head of the Institute or his nominee	Chairman
2)	The examiner of the thesis from within the country, or a specialist in the subject nominated by the Chairman, AAC / Senate or his nominee from the panel of examiners Approved by the Doctoral Committee.	Member
3)	Research Guide(s)	Member
4)	A Specialist either from the Institute or outside from the panel approved by the Doctoral Committee and nominated by the Chairman, AAC / Senate or his nominee	Member

(b) The Doctoral Committee members of the Research Scholar concerned will be invitees to the viva voce.

(c) The viva voce board will examine the scholar on his/her thesis work and evaluate his/her performance as satisfactory or otherwise.

The viva voce board will ensure that the scholar answers satisfactorily the questions raised by the thesis examiner(s).

(d) If the report of the viva voce board declares the performance of the research scholar not satisfactory, he/she may be asked to reappear for viva voce at a Later date (not earlier than a month and not Later than six months from the date of the first viva voce).

On the second occasion, the viva voce board will also include the members of the Doctoral Committee.

(e) If the viva voce board on the second occasion also evaluates the performance of the research scholar not satisfactory, the matter will be referred to AAC / Senate for a decision.

(f) The viva voce board may also recommend revision to be made in the final version of the thesis after taking into consideration suggestions of the examiners who evaluated the thesis and the discussion at the viva voce.

The Chairman of the viva voce board shall forward the thesis to the academic section certifying that the revisions recommended by the viva voce board, if any, have been incorporated in the copy of the thesis along with the report of the viva voce board.

(g) All the research scholars shall submit two copies of the final form of thesis in A5 size and an electronic version in PDF format after the viva voce board recommends the award of the Ph.D degree.

R.24 Award of Ph.D Degree

If the performance of the research scholar in the viva voce is satisfactory, he/she will be awarded Ph.D. degree on the recommendation of the AAC / Senate and with the approval of the Board of Governors of the Institute.

R.25 Discipline

Every scholar is required to observe disciplined and decorous behavior both inside and outside the campus and should not indulge in any activity, which will tend to bring down the prestige of the Institute.

Any act of indiscipline of a scholar reported to the Head of the Institute will be referred to a Discipline and Welfare Committee nominated by the AAC / Senate from time to time.

The committee will investigate the charges and will recommend suitable punishment if it finds the charges substantiated.

The recommendation of the Committee will be considered by the Head of the Institute to take appropriate action.

Head of the Institute will report the action taken at the next meeting of the Senate.

R.26 Power to Modify

Notwithstanding all that has been stated above, the AAC / Senate has the right to modify any of the above regulations from time to time.